

पत्रावली चेन्नई वृद्ध वारी एवं अखिवक्ता
वारी अनुपलब्ध गवाह अनुपलब्ध
न्यायालय सामग्री में रूक-रूक का कई
बार आवाज लगाने पर भी वारी अपवा
अखिवक्ता वारी के उपलब्ध नहीं हुए। अतः
वारी का वादपत्र अदम हाजरी, अदम वरव
अदम सबुत में खारीज किया जाता है।
पत्रावली केवल शुभा होकर नमूना
में काम हो।

S D

